



## भारत ने धन शोधन नविवारण अधिनियम में कथिा बदलाव

### प्रलिमिंस के लयि:

[धन शोधन रोकथाम अधिनियम, वतितीय कार्रवाई कार्रय बल](#)

### मेन्स के लयि:

धन शोधन से नपिटने के लयि भारत में कानूनी और नयामक ढाँचा, धन शोधन नविवारण अधिनियम (PMLA) और इसके उद्देश्य, अर्थव्यवस्था पर धन शोधन का प्रभाव ।

### चर्चा में क्यों?

भारत ने वतितीय कार्रवाई कार्रय बल (Financial Action Task Force- FATF) के तहत वर्ष 2023 में प्रस्तावति आकलन से पहले खामयिों को दूर करने के लयि वभिनिन परविरतनों के हसिसे के रूप में धन शोधन नविवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आने वाले धन शोधन कानून में बदलाव कयि है ।

### PMLA के तहत बदलाव:

- वतितीय संस्थानों, बैंकिंग कंपनयिों अथवा मध्यस्थों जैसी रपिर्टगि संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का अधकि प्रकटीकरण ।
- "राजनीतिक रूप से सक्रयि व्यक्तयिों" को ऐसे व्यक्तयिों के रूप में परभाषति करना , जिन्हें कसिी वदिशी राष्ट्र द्वारा प्रमुख सार्वजनकि कार्रय सौपा गया है, बैंकों और वतितीय संस्थानों के लयि नो योर कस्टमर (Know Your Customer- KYC) मानदंडों और एंटी-मनी लॉन्ड्रगि के लयि भारतीय रजिस्त्र बैंक के वर्ष 2008 के परपित्त्र के साथ एकरूपता लाना ।
- अपने ग्राहकों की ओर से वतितीय लेन-देन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सचविों और लागत तथा कार्रय लेखाकारों को पेश करने के कार्रय को धन शोधन कानून के दायरे में लाना ।
  - वतितीय लेन-देन में नमिनलखिति शामिल है:
    - कसिी अचल संपत्ति का क्रय-वकि्रय ।
    - ग्राहक के पैसे, प्रतभितयिों अथवा अन्य संपत्तयिों का प्रबंधन करना ।
    - बैंक, बचत या प्रतभित्ता खातों का प्रबंधन ।
    - कंपनयिों के नरिमाण, संचालन अथवा प्रबंधन के लयि योगदान संबंधी संगठन ।
    - कंपनयिों का नरिमाण, संचालन या प्रबंधन, सीमति देयता भागीदारी या ट्रस्ट ।
    - व्यापारकि संस्थाओं की खरीद और बकिरी ।
- सरकार ने धन शोधन नविवारण अधिनियम के लयि गैर-बैंकिंग रपिर्टगि संस्थाओं की सूची बनाई है । जो आधार के माध्यम से अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापति करेगी, जसिमें अमेज़ॅन पे (इंडयिा) प्राइवेट लिमिटेड, आदति्य बरिला हाउसगि फाइनेंस लिमिटेड और IIFL फाइनेंस लिमिटेड जैसी 22 वतितीय संस्थाएँ शामिल हैं ।

### परविरतन से संबंधति मामले:

- परविरतन में रपिर्टगि संस्थाओं को सभी लेन-देन के रकिर्ड बनाए रखने और प्रत्येक नरिदिष्ट लेन-देन से पहले KYC कराने की आवश्यकता होती है । अनुपालन में वफिल रहने पर दंड एवं जाँच एजेंसयिों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है ।
- PMLA के अधीन न्यूनतम दोषसदिधिदर, लेकनि एक अत्यंत कठनि प्रकर्रयिा से गुज़रना ।
- PMLA के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की नई परभाषा में वकीलों और वैधानकि पेशेवरों को बाहर करने की कुछ पेशेवरों द्वारा आलोचना की गई है ।
- कुछ लोगों का यह भी तर्क है कि इन नए नगिमति पेशेवरों को पूर्व से ही संसद के वभिनिन अधिनियमों के तहत गठति पेशेवर नकियों द्वारा वनियमति कयिा जाता है, जसिसे ये उपाय अनावश्यक हो जाते हैं ।

### PMLA, 2002:

#### ■ पृष्ठभूमि:

- **धन शोधन** के खतरे से नपिटने के लिये **भारत की वैश्विक प्रतबिद्धता (वयिना कन्वेंशन) के जवाब में PMLA अधिनियम** किये गया था। इसमें शामिल हैं:
  - **नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988**
  - **सद्दिधांतों का बेसल वक्तव्य, 1989**
  - **मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सफारिशें, 1990**
  - **वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्रवाई कार्यक्रम**

#### ■ परिचय:

- यह एक आपराधिक कानून है जो **धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्तियों की ज़बती** का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को वैध बनाना) से नपिटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (**RBI** सहित), **म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों** और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

#### ■ उद्देश्य:

- आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से शोधित, उत्पन्न या अर्जित किये गए अपराध की आय को ज़बत और अधगिरहण करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम के लिये एक कानूनी ढाँचा स्थापित करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जाँच और अभियोजन के लिये तंत्र को सुदृढ़ और बेहतर बनाना।
- मनी लॉन्ड्रिंग और संबंधित अपराधों के वरिद्ध लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

#### ■ नियामक प्राधिकरण:

- **प्रवर्तन नदिशालय (ED):** प्रवर्तन नदिशालय PMLA के प्रावधानों को लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जाँच करने के लिये ज़म्मेदार है।

## फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

#### ■ परिचय:

- FATF वर्ष 1989 में स्थापित एक **अंतर-सरकारी संगठन** है।
- यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये **मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण** और अन्य संबंधित खतरों का मुकाबला करने हेतु एक **वैश्विक मानक निर्धारक** है।
- FATF एक **नीति-निर्माण निकाय** के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय अपराधों से नपिटने के लिये **कानूनी, वनियामक और परिचालन उपायों के कार्यान्वयन** को बढ़ावा देता है।

#### ■ उद्देश्य:

- FATF का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों को स्थापित करना और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण तथा सामूहिक वनिाश के हथियारों के प्रसार से नपिटने के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

#### ■ गठन:

- मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में **G7 देशों** की पहल पर **FATF का गठन किये गया था**।
- इसने शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग से नपिटने के लिये **सफारिशों और सर्वोत्तम प्रथाओं** को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया।
  - वर्षों से **आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने और नए उभरते खतरों को संबोधित करने के लिये** इसके जनादेश का वसितार हुआ।

#### ■ ग्रे लसिट और ब्लैक लसिट:

- FATF की दो प्रमुख सूचियाँ हैं: **"ग्रे लसिट"** और **"ब्लैक लसिट"**।
- **ग्रे लसिट** में ऐसे **क्षेत्राधिकार** शामिल हैं जिनके धन शोधन रोधी एवं आतंकवाद रोधी वित्तपोषण ढाँचे में **रणनीतिक कमियाँ** हैं।
  - ग्रे लसिट में रखा जाना **सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है, साथ ही यह FATF द्वारा नगिरानी बढ़ाने के अधिकार क्षेत्र** को वषिय बनाता है।
- **ब्लैक लसिट**, जसिे आधिकारिक तौर पर **"कार्रवाई हेतु आह्वान (Call for Action)"** के रूप में जाना जाता है, में ऐसे देश शामिल हैं जिनके धन शोधन और आतंकवाद रोधी वित्तपोषण प्रयासों में **गंभीर कमियाँ** हैं।
  - ब्लैक लसिट में शामिल करने से **अंतरराष्ट्रीय रोक एवं प्रतबिंध** लग सकते हैं।

#### ■ सदस्य देश:

- वर्तमान में **FATF के 39 सदस्य** हैं: **37 क्षेत्राधिकार** और **2 क्षेत्रीय संगठन** (खाड़ी सहयोग परिषद एवं यूरोपीय आयोग)।
- वित्तीय अपराधों से नपिटने में वैश्विक सहयोग को मज़बूत करने हेतु **FATF संयुक्त राष्ट्र** जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मलिकर काम करता है।

#### ■ भारत और FATF:

- भारत वर्ष 2010 में **FATF का सदस्य** बना था।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. चर्चा कीजिये किकिसि प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-strengthens-pmla>

